न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–7 / 2025 दायर दिनांक– 27.5.2025

GCMS NO:- 2025/120 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

ऐतराज सिंह आ0 खुमान सिंह जाति राजपूत नि0 खजूरा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खजूरा के खसरा नम्बर 6 व 8 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8072 हैक्टयर भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थी व भूमि के पडोसी खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.5.2024 को सीमाज्ञान करवा लिया गया है। सीमांकन होने के पश्चात भी भूमि की सीमा के संबंध मे विवाद बना हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। बाद बहस के विवेचन, प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 6 व 8 का सीमांकन पूर्व मे हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि **ग्राम खजूरा के खसरा नम्बर 6 व 8 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8072 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है** तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ